न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 27/2019 आरसीएमएस नम्बर 2019/00050

उनवानी प्रकरण :–

1. रामखिलाड़ी पुत्र श्री मनवती जाति जाटव निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर ———— प्रार्थी।

बनाम्

1. दिनेश सिंह पुत्र रामवीर जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2. उप जिलाधीश महोदय, उपखण्ड सैपऊ जिला धौलपुर ———— अप्रार्थीगण।

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र व प्रकरण उनवानी प्रेम बनाम दिनेश प्रकरण संख्या 23/2015 अन्तर्गत धारा 24 सीपीसी

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री राजेन्द्रसिंह राना अभिभाषक।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से :– हरिवीरसिहं अभिभाषक
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभि0

निर्णय दिनांक 9.10.2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 के न्यायालय में प्रार्थी का एक प्रकरण उनवानी प्रेम बनाम दिनेश विचाराधीन है जिसमे दिनांक 04.07.2019 को अन्तिम बहस हो चुकी है तथा निर्णय के लिए कोई तिथि नियत नहीं की गई है। प्रार्थी को न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ से न्याय की उम्मीद नहीं है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 07.07.2019 को ऐलानिया कथन किया कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी से अपनी पहुँच बना ली है और किसी भी क्षण निर्णय उसके पक्ष में किया जा सकता है। प्रार्थी ने अपनी आंखो से उपखण्डाधिकारी सैपऊ को भरतपुर से सैपऊ लाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं गाड़ी खर्चा वहन करके लेने गया है तथा उम्मीद है कि सैपऊ आने के बाद प्रार्थी के विपरीत निर्णय कर दिया जावेगा। उपखण्डाधिकारी सैपऊ निष्पक्ष निर्णय नहीं करेंगे इसलिए प्रार्थी अपने प्रकरण का निर्णय वर्तमान उपखण्डाधिकारी से कराना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी के उपरोक्त प्रकरण संख्या 23/2015 उनवानी प्रेम बनाम दिनेश को किसी अन्य उपखण्डाधिकारी न्यायालय में स्थानान्तरण किया जावे ।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई उज्रदारी हो तो असलातन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री हरिवीर सिहं अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ। अप्रार्थी संख्या 2 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र का जबाब प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण में अन्तिम बहस हो चुकी है एवं आदेश के लिए 10.7.2019 तारीख पेशी नियत की गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में लिखी किसी भी प्रकार की कोई बात दिनांक 07.07.2019 को नहीं कही समस्त तथ्य असत्य व बनावटी लिखे गये है। अप्रार्थी संख्या 1 की पीठासीन अधिकारी से कोई निजी जान पहचान तक नहीं है ना ही कभी भी अपनी गाड़ी से पीठासीन अधिकारी को भरतपुर से लेने गया नाहीं अप्रार्थी संख्या 1 को कभी भी यह जानकारी रही कि कब पीठासीन अधिकारी जयपुर से आये और कब गये समस्त तथ्य असत्य लिखे गये है। प्रार्थी को किसी भी अधिकारी पर बिना किसी साक्ष्य पर उसकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए ऐसा करके प्राथी ने पीठासीन अधिकारी की मानहानि की है एवं कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुचाई है सत्य तो यह है कि प्रार्थी के साथ एक मूछों वाला व्यक्ति जिसका नाम दुर्गसिंह है प्रत्येक पेशी पर जाता है और जो भी पीठासीन अधिकारी अब तक रहें है उन पर दबाब बनाता रहा है। अपनी मर्जी से तारीख पेशी लेता रहा है। अब भी प्रार्थी प्रकरण को लम्बा करना चाहता है इसलिए भरे न्यायालय में ऊंची आवाज में यह कह कर कि चाहे कुछ भी हो जाये मैं केस को अपने पक्ष में कराकर रहूंगा प्रार्थी बहस कराना नहीं चाहता था लेकिन पीठासीन अधिकारी ने यह कह कर कि यह समरी प्रोसीड़िग है मैं तो बहस सुनूगां मात्र इसी बात पर प्रार्थी एवं दुर्गसिंह नाराज हो गये और बहस होने के पश्चात् बिना वजह पीठासीन अधिकारी पर झूठा आरोप लगाते हुए उन पर संदेह करके उन्होने असत्य कथनों पर झूठी कहानी तैयार करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 से प्राप्त टिप्पणी के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.07.2019 को प्रकरण में बहस हो चुकी है लेकिन यह गलत है कि निर्णय हेतु आगामी तारीख पेशी नियत नहीं है। जबकि निर्णय हेतु आगामी तारीख 10.7.19 नियत की गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 से कोई पहुँच नही बनाई है अन्तिम निर्णय दस्तावेजात एवं बहस के तहत न्यायोचित तरीके से पारित किया जाता है। वैसे भी किसी भी न्यायालय में निर्णय पारित होता है तो पीड़ित पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 को स्वंय के वाहन अथवा किसी प्रकार के साधन से ले गया हो। प्रार्थी को इस न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है तो माननीय न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित होगा उसके अधीन कार्यवाही की जावेगी।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 के न्यायालय में प्रार्थी का एक प्रकरण उनवानी प्रेम बनाम दिनेश विचाराधीन है जिसमे दिनांक 04.07.2019 को अन्तिम बहस हो चुकी है तथा निर्णय के लिए कोई तिथि नियत नहीं की गई है। प्रार्थी को न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ से न्याय की उम्मीद नहीं है अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी से व्यक्तिगत सम्बन्ध बना लिये हैं जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण का निर्णय अपने पक्ष में करा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष निर्णय नहीं करेंगे । इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ में विचाराधीन प्रकरण संख्या 23/2015 उनवानी प्रेम बनाम दिनेश को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में अन्तिम बहस हो चुकी है एवं आदेश के लिए 10.7.2019 तारीख पेशी नियत की गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र में लिखी किसी भी प्रकार की कोई बात दिनांक 07.07.2019 को नहीं कही समस्त तथ्य असत्य व बनावटी लिखे गये है। अब भी प्रार्थी प्रकरण को लम्बा करना चाहता है । अप्रार्थी संख्या 1 को यह भी पता नहीं रहता है कि पीठासीन अधिकारी कब कब कहाँ कहाँ आते जाते हैं। ना ही अप्रार्थी संख्या 1 ने कभी अपना वाहन उपयोग हेतु पीठासीन अधिकारी को दिया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अकिंत किये हैं वह मनगढन्त एवं बनावटी हैं। ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 04.07.2019 को प्रकरण में बहस हो चुकी है लेकिन यह गलत है कि निर्णय हेतु आगामी तारीख पेशी नियत नहीं है। जबकि निर्णय हेतु आगामी तारीख 10.7.19 नियत की गई थी। अप्रार्थी संख्या 1 से कोई पहुँच नही बनाई है अन्तिम निर्णय दस्तावेजात एवं बहस के तहत न्यायोचित तरीके से पारित किया जाता है। वैसे भी किसी भी न्यायालय में निर्णय पारित होता है तो पीड़ित पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यह कथन गलत है कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 को स्वंय के वाहन अथवा किसी प्रकार के साधन से ले गया हो। प्रार्थी को इस न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है तो न्यायालय द्वारा जो भी आदेश पारित होगा उसके अधीन कार्यवाही की जावेगी।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ में विचाराधीन प्रकरण संख्या 23/2015 उनवानी प्रेम बनाम दिनेश को अन्यत्र उपखण्डाधिकारी न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना उचित समझते हैं।

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ में विचाराधीन प्रकरण संख्या 23/2015 उनवानी प्रेम बनाम दिनेश को न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नवम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 9.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कु0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)